पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

लखनऊ में 09 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत, समझौते से निपटेंगे सैकड़ों मामले

पारिवारिक, मोटर दुर्घटना, बैंक रिकवरी, 138 NI Act, बिजली–चोरी, सेवा–परिलाभ सहित 20+ श्रेणियों में होंगी सुनवाई

लखनऊ : 09 अप्रैल, 2026

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नई दिल्ली) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष मलखान सिंह के दिशा–निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा 09 मई 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट और सभी तहसीलों में किया जाएगा।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ जीवक कुमार सिंह ने बताया कि लोक अदालत विवाद–सुलझाव का वैकल्पिक मंच है, जिसका निर्णय सिविल कोर्ट की डिक्री समान बाध्यकारी होता है और उसके विरुद्ध अपील नहीं होती। प्रक्रिया सहज, आपसी सहमति–आधारित है; प्री–लिटिगेशन स्तर पर भी बिना मुकदमा दायर किए प्रार्थना–पत्र द्वारा मामले रखे जा सकते हैं।

इस बार पारिवारिक/वैवाहिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, उपभोक्ता फोरम, कामर्शियल, आर्बिट्रेशन, सुलह–योग्य फौजदारी, दीवानी, भरण–पोषण, स्टाम्प, चकबन्दी, श्रम, भूमि–अधिग्रहण, बाट–माप चालान, ऋण–वसूली, बैंक रिकवरी, किरायेदारी, धारा 138 NI Act, उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र, बिजली–चोरी, जल–कर/गृहकर, सेवा–सेवानिवृत्ति परिलाभ आदि श्रेणियों के वादों का निस्तारण होगा।

सचिव ने आमजन से अपील की है लोक अदालत में पहुँचकर शीघ्र, सुलभ एवं सक्षम न्याय प्राप्त करें।

सम्पर्क सूत्र– धर्मवीर खरे

राम यतन/06:40 **PM**